



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-02082022-237848
CG-JK-E-02082022-237848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383]
No. 383]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2022/श्रावण 11, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2022/SHRAVANA 11, 1944

संयुक्त विद्युत नियामक आयोग

(जम्मू और कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)

अधिसूचना

जम्मू और कश्मीर व लद्दाख, 21 जुलाई, 2022

सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2022/02.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 सपठित धारा 87 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:

- इन विनियमों को जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सलाहकार समिति का गठन) विनियम, 2022 कहा जा सकता है।
- ये विनियम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए हैं और आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों के संबंध में लागू होंगे।
- ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

- इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो;
क) "अधिनियम" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);
ख) "आयोग" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 83 के अंतर्गत गठित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग;

- ग) "समिति" का अर्थ है अधिनियम की धारा 87 के प्रावधानों के अनुसार गठित केंद्र शासित प्रदेशों की सलाहकार समिति।
- घ) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

3. समिति का गठन

1. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक सलाहकार समिति होगी।
2. सलाहकार समिति में इक्कीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और विद्युत क्षेत्र में शैक्षणिक और अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
3. समिति के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत होंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।
4. पदेन सदस्य के अलावा कोई अन्य सदस्य, जो आयोग को पूर्व सूचना के बिना और उसकी अनुपस्थिति के वैध कारणों के बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा।
5. आयोग के अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष और आयोग के सदस्य होंगे, और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सरकार के सचिव, जो उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित विभाग के प्रभारी हैं, समिति के पदेन सदस्य होंगे।

4. समिति के कार्य

1. अधिनियम की धारा 88 के अनुसार, समिति का कार्य आयोग को निम्नलिखित पर सलाह देना होगा:
 - क) प्रमुख नीतिगत प्रश्न;
 - ख) लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और सीमा से संबंधित मामले;
 - ग) लाइसेंसधारियों द्वारा उनके लाइसेंस की शर्तों और आवश्यकताओं का अनुपालन;
 - घ) उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा; और
 - ङ) बिजली आपूर्ति और उपयोगिताओं द्वारा प्रदर्शन के समग्र मानक।
2. इन विनियमों के खंड 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए समिति केवल उन मामलों में आयोग को सलाह देने के लिए सक्षम होगी जहां ऐसी सलाह जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के अनन्य क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मामले से संबंधित है।

5. समिति के सचिव

1. आयोग का सचिव समिति का पदेन सचिव होगा। सचिव इस तरह के कर्तव्य के कारण किसी भी अतिरिक्त पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।
2. सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठकें बुलाएं और उसके सदस्यों को प्रस्तावित बैठक की तिथि, समय और स्थान की लिखित सूचना कम से कम 14 दिन पहले दें, यदि अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से निर्देश न दिया जाए।

6. बैठक का एजेंडा

1. बैठक का एजेंडा उन विषयों के अनुसार होगा जिन पर अधिनियम के अंतर्गत समिति से परामर्श करना आवश्यक है। बैठक के अध्यक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना समिति की बैठक में एजेंडे में शामिल किसी अन्य मामले पर विचार या चर्चा नहीं की जाएगी। कोई मामला समिति के कार्यक्षेत्र और कार्य से संबंधित है या नहीं, इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और समिति के लिए बाध्यकारी होगा।
2. यदि कोई सदस्य समिति की बैठक में किसी विषय को चर्चा के लिए लाना चाहता है, तो वह आगामी बैठक के दस दिनों से पहले लिखित रूप में सचिव को सूचित करेगा।

7. समिति की कार्यवाही

1. समिति की बैठकों की कार्यवाही को एक कार्य-विवरण पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा और बैठक के अध्यक्ष द्वारा अगली बैठक में या ऐसी सफल बैठक से पहले किसी भी समय हस्ताक्षरित किया जाएगा। कार्य विवरण की प्रतियां संघीय राज्य क्षेत्र सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी।
2. केंद्र शासित प्रदेश की समिति हर छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
3. समिति की बैठक के प्रारंभ के लिए कोरम समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा।
4. वैध कोरम के साथ प्रारम्भ करने के बाद बैठक जारी रखी जा सकती है, भले ही बैठक के दौरान भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कोरम से कम हो जाए।
5. यदि बैठक के प्रारंभ में कोरम पूरा नहीं है, तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा और बैठक का अध्यक्ष बैठक को अध्यक्ष द्वारा नियत की जाने वाली किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित कर सकता है। स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।
6. स्थगित बैठक में पिछली बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यसूची पर पहले विचार किया जाएगा। किसी अन्य मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि अध्यक्ष कोई नया मामला ला सकता है या लाने का निर्देश दे सकता है, जो उसकी राय में अत्यावश्यक है।
7. समिति की कोई भी कार्यवाही केवल समिति में विद्यमान रिक्ति के कारण या समिति के किसी सदस्य द्वारा नोटिस या कार्यसूची के कागजात प्राप्त न होने के कारण या के संचालन में किसी अनियमितता के कारण असम्य नहीं होगी। बैठक का व्यवसाय।
8. अध्यक्ष, समिति के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें हित के मामले में विशेष या उपयोगी जानकारी हो, आयोग के विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकता है।
9. आयोग के अध्यक्ष को समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करनी होगी। उनकी अनुपस्थिति में आयोग के सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
10. समिति की सभी बैठकें सामान्य रूप से आयोग के कार्यालय जम्मू/श्रीनगर में या आयोग द्वारा अधिसूचित किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जाएंगी।

8. केंद्र शासित प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्यों के लिए शुल्क और भत्ते

1. पदेन सदस्य के अलावा समिति का कोई भी सदस्य प्रत्येक बैठक के लिए 2000 रुपये (रुपये दो हजार मात्र) के शुल्क का हकदार होगा।
2. समिति की बैठक में भाग लेने वाला समिति का कोई सदस्य निम्नानुसार बताए गए आधार पर यात्रा और ठहरने के लिए भत्ते का हकदार होगा:
 - क) समिति का कोई सदस्य जो सरकारी कर्मचारी है या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कर्मचारी है, अपने मूल संगठन से यात्रा और दैनिक भत्ता प्राप्त करेगा।
 - ख) सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी के अलावा समिति का कोई सदस्य, भारत सरकार के ग्रेड ए अधिकारी के लिए लागू वेतनमान पर और नियमों के अनुसार देय यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का हकदार होगा।

9. सदस्य का त्यागपत्र

पदेन सदस्य के अलावा समिति का कोई सदस्य आयोग के सचिव को लिखित नोटिस द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और यह उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन आयोग का अध्यक्ष इसे स्वीकार करता है।

10. सदस्य को पदमुक्त करना

1. आयोग पदेन सदस्य के अलावा समिति के किसी भी सदस्य को हटा सकता है, जो:
 - क) दिवालिया घोषित किया गया है; या

- ख) नैतिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है; या
- ग) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; या
- घ) स्वयं को इस तरीके से व्यवहार किया है या अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि एक सदस्य के रूप में उसके बने रहने से जनहित या अधिनियम के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जिस सदस्य को उपरोक्त उपखंड (1) के तहत हटाया जाना प्रस्तावित है, उसे आयोग के अध्यक्ष के समक्ष अपनी स्थिति का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाएगा।

11. विविध

1. अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, आयोग समय-समय पर इन विनियमों के कार्यान्वयन और विभिन्न मामलों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में आदेश और निर्देश जारी कर सकता है, जिनके लिए या आकस्मिक या प्रासंगिक मामलों के लिए आयोग को इन विनियमों द्वारा अधिकार दिया गया है।
2. आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में नया प्रावधान जोड़ सकता है, उसे बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।
3. यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, समिति को ऐसे काम करने की अनुमति दे सकता है जो आयोग की राय में आवश्यक है या कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपयुक्त है।
4. इन विनियमों की व्याख्या और समिति की बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में आयोग के अध्यक्ष के निर्णय अंतिम होंगे।

(आयोग के आदेश द्वारा)

स्थान: जम्मू

दिनांक: 21-07-2022

वी. के. धर (जे के ए एस), सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./199/2022-23]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(for UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh)

NOTIFICATION

Jammu and Kashmir and Ladakh, the 21st July, 2022

No. JERC-JKL/REG/2022/02.—In exercise of powers conferred under Section 87 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Commission hereby makes the following Regulations, namely;

1. Short title, extent and commencement:

1. These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for Jammu & Kashmir and Ladakh (Constitution of Advisory Committee for UT of J&K and UT of Ladakh) Regulations, 2022.
2. These Regulations extend to the whole of the UT of J&K and UT of Ladakh and shall apply in relation to all matters falling within the jurisdiction of the Commission.
3. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Government Gazette.

2. Definitions

1. In these Regulations unless the context otherwise requires;
 - a) “Act” means The Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

- b) “Commission” means the Joint Electricity Regulatory Commission for the UTs of J&K and Ladakh constituted under Section 83 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- c) “Committee” means the UTs Advisory Committee constituted in accordance with the provisions of Section 87 of the Act.
- d) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Constitution of the Committee

1. There shall be a advisory Committee for the UTs of J&K and Ladakh.
2. The Advisory Committee shall consist of not more than twenty one members to represent the interest of commerce, industries, transport, agriculture, labour, consumers, non-governmental organizations and academic and research bodies in the electricity sector.
3. The Members of the Committee shall be nominated for a period of two years and shall be eligible for re-appointment.
4. A member other than the ex-officio member, who fails to attend three consecutive meetings of the committee without prior intimation to the Commission and without valid reasons for his absence, shall cease to be a member of the Committee.
5. The Chairperson of the Commission shall be the ex-officio Chairperson of the Committee and Member of the Commission, the Secretaries to J&K and Ladakh Governments in charge of the Department dealing with consumer affairs and public distribution system shall be the ex-officio members of the Committees.

4. Functions of the Committee

1. Pursuant to Section 88 of the Act, the functions of the Committee shall be to advise the Commission on:
 - a. major questions of policy;
 - b. matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
 - c. compliance by licensees with the conditions and requirements of their license;
 - d. protection of consumer interest; and
 - e. electricity supply and overall standards of performance by utilities.
2. The Committee for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh established under clause 3 of these regulations shall be competent to give advice to the Commission only in cases where such advice relates to matter within the exclusive territorial jurisdiction of the Union territories of Jammu & Kashmir and Ladakh.

5. Secretary of the Committee

1. The Secretary of the Commission shall be the ex-officio Secretary to the Committee. The Secretary shall not be entitled to any extra remuneration on account of such duty.
2. It shall be the duty of the Secretary to convene the meetings of the Committee with the permission of the Chairperson and to give to the members thereof, unless otherwise specifically directed by the Chairperson not less than 14 days’ notice in writing of the date, time and place of the proposed meeting. The agenda of the meeting shall accompany such notice.

6. The agenda of the meeting

1. The agenda for the meeting shall be in accordance with subjects on which the Committee is required to be consulted under the Act. No matter other than that included in the agenda shall be considered or discussed at the meeting of the Committee except with the specific permission of the Chairman of the meeting. The ruling of the Chairman as regards whether a matter is related to the scope and function of the Committee or otherwise, shall be final and binding on the Committee.
2. If a Member desires to bring a subject for discussion in the meeting of the Committee, he shall notify the Secretary in writing accordingly before ten days of the ensuing meeting.

7. Proceedings of the Committee

1. The proceedings of the meetings of the Committee shall be recorded in a minute book to be kept for the purpose and shall be signed by the Chairperson of the meeting at the next succeeding meeting or at any time before such succeeding meeting. Copies of the minutes shall be sent to all the members of the UT Advisory Committee.
2. The Committee of UT shall meet at least once in every six months.
3. The quorum for the commencement of a meeting of a Committee shall be one- third of the total members of the Committee.
4. The meeting after such commencement with a valid quorum can be continued even if during the meeting the number of participating members reduces below the quorum.
5. If there is no quorum in the commencement of the meeting, no business shall be transacted and the Chairperson of the meeting may adjourn the meeting to another date to be fixed by the Chairperson. No quorum shall be necessary at an adjourned meeting.
6. At the adjourned meeting the agenda proposed for the previous meeting shall be considered first. No other matter may be considered provided that the Chairperson may bring or direct to be brought, any new matter, which in his opinion is urgent.
7. No proceedings of the Committee shall be invalid by reason merely of a vacancy existing in the Committee or by reason of non-receipt of the notice or the agenda papers by any member of the Committee or by reason of any irregularity in the conduct of the business of the meeting.
8. The Chairperson may invite person or persons other than the members of the Committee, having special or useful knowledge on a matter of interest to the Commission to assist in its deliberation.
9. The Chairperson of the Commission has to preside over every meeting of the Committee. In his absence, Member of the Commission shall chair the meeting.
10. All meetings of the Committee shall be held at a place normally in the Office of the Commission at Jammu/Srinagar or elsewhere as notified by the Commission.

8. Fees and allowances for members of the UT Advisory Committee

1. A member of the Committee other than an ex-officio member shall be entitled to a fee of Rs. 2000/- (Rupees Two thousand only) for each sitting.
2. A member of the Committee attending the meeting of the Committee shall be entitled to allowances for traveling and stay on the basis stated as follows:
 - a) A member of the Committee who is a Government Servant or an employee of any Public Sector Undertaking shall draw traveling and daily allowances from his parent organization.
 - b) A member of the Committee other than a Government Servant or an employee of Public Sector Undertaking shall be entitled to traveling allowance and daily allowance for attending the meeting payable at the Scale and according to the rules applicable to Grade A officer of the Government of India.

9. Resignation of Member

A member of the Committee other than an ex-officio member may, by a written notice to the Secretary of the Commission resign from his office and it shall come into effect from the day the Chairperson of the Commission accepts the same.

10. Removal of Member

1. The Commission may remove any member of the Committee other than an ex-officio member, who:
 - a) has been adjudged as insolvent; or
 - b) has been convicted of an offence involving moral turpitude; or
 - c) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or
 - d) has conducted himself in a manner or has so abused his position as to render his continuance as a member prejudicial to public interest or to the objects and purpose of the Act.

The member who is proposed to be removed under sub-clause (1) above shall be given an opportunity to represent his position to the Chairperson of the Commission.

11. Miscellaneous

1. Subject to the provisions of the Act and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and directions in regard to the implementation of these Regulations and procedure to be followed on various matters, which the Commission has been empowered by these Regulations to direct and matters incidental or ancillary thereto.
2. The Commission may, at any time, add, vary, alter, modify or amend any of the provisions of these Regulations.
3. If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do or undertake or permit the Committee to do or undertake things which in the opinion of the Commission is necessary or expedient for removing the difficulties.
4. The decisions of the Chairperson of the Commission in the matter of interpretation of these Regulations and relating to conduct of business at the meetings of the Committee shall be final.

By order of the Commission.

Place: Jammu

Date: 21-07-2022

V. K. DHAR (JKAS), Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./199/2022-23]